भगवान जगन्नाथ मरकड और अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1516/2011)

4 अक्टूबर, 2016

[वी.गोपाल गौड़ा और आदर्श कुमार गोयल, जे.जे.]

दंड संहिता 1860:

धारा 147, 149, 302 सपठित धारा 149, 324 और 326- राजनीतिक शत्रुता- एक की हत्या और छह व्यक्तियों को चोटें- विचारण न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को इस आधार पर बरी कर देना कि महत्वपूर्ण गवाह संबन्धित या हितबद्ध थे; पुलिस को शुरू में दिए गए बयान और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए बयान में परिवर्तन किया गया था; और हमले के तरीके और इस्तेमाल किए गए हथियार में गवाहों के साक्ष्य में असंगतता- उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की दोषमुक्ति के आदेश को पलट दिया- अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: विचारण न्यायालय ने एक या दूसरे विरोधाभास का पता लगाकर घायल चश्मदीद गवाहों सहित पूरे साक्ष्य को यांत्रिक रूप से खारिज करके विकृत दृष्टिकोण अपनाया- घटना दिनदहाड़े घटी- आरोपियों में से एक ने पंचायत चुनाव को लेकर दुश्मनी का जिक्र किया- उक्त आरोपी खुद घायल हो गया जिससे घटना स्थल पर उसकी मौजूदगी साबित हुई- सभी पांच चश्मदीद गवाहों ने लगातार अपीलकर्ताओं (ए-1 से ए-7) का नाम लिया- अपीलकर्ताओं (ए-1 से ए-7) पर

मृतक पर हमला करने में विशिष्ट भूमिका का आरोप लगाया गया- इसलिए, धारा 302/149 के तहत उनकी दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप नहीं किया गया है हालाँकि, ए-10 और ए-11 के मामले में संदेह का लाभ दिया जाता है और उन्हें बरी कर दिया जाता है क्योंकि पीडब्ल्यू-11 और पीडब्ल्यू-18 द्वारा उसका नाम नहीं लिया गया था और पीडब्ल्यू-10 ने केवल ए-1 से ए-7 को विशिष्ट भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

धारा 149- एक गैरकानूनी जमावड़े के सदस्य का परोक्ष दायित्व- अभिनिर्धारित किया गया: एक व्यक्ति द्वारा एक गैरकानूनी जमावड़े के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया गया अपराध, सामान्य उद्देश्य को साझा करने वाले गैरकानूनी सभा के सदस्यों को परोक्ष रूप से अपराध के लिए उत्तरदायी बनाता है- जब हमलावरों की भीड़ किसी गैरकानूनी जमावड़े की सदस्य हो, तो गवाहों के लिए प्रत्येक हमलावर द्वारा निभाई गई भूमिका का सटीक वर्णन करना संभव नहीं हो सकता है- सभा के सदस्यों के आचरण, भाषा और आसपास की सभी परिस्थितियों से सामान्य उद्देश्य का पता लगाना होगा।

साक्ष्य: गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियां और विरोधाभास- अभिनिर्धारित किया गया: अवलोकन में चूक, समय बीत के कारण याद ना रहना, घटना के समय सदमे जैसी मानसिक स्थिति के कारण विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं- सामान्य विसंगति गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती है- केवल जब विसंगतियां इतनी असंगत होती हैं कि गवाह के बयान की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं, तो न्यायालय साक्ष्य को अस्वीकार कर सकता है- तुच्छ प्रकृति की विसंगतियां चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती हैं और न ही कुछ गवाहों से पूछताछ न करना अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार हो सकता है।

अपील: अपीलीय प्राधिकारी- हस्तक्षेप का दायरा- पर चर्चा की गई।

अपील को आंशिक अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1. आपराधिक न्यायशास्त्र का यह स्वीकृत सिद्धांत है कि सबूत का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है और जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है। अभियोजन पक्ष को अपना मामला उचित संदेह से परे साबित करना होगा और आरोपी उचित संदेह का लाभ पाने का हकदार है। उचित संदेह वह है जो एक विवेकी और तर्कशील व्यक्ति को होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 दो स्थितियों को संदर्भित करती है- (i) जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में पूरी तरह से निश्चित महसूस करता है- "उसके अस्तित्व पर विश्वास करता है" और (ii) जब वह पूर्णतया निश्चित नहीं होता और इसे अत्यंत संभाव्य समझता है कि एक विवेकशील व्यक्ति, परिस्थितियों में, इसके अस्तित्व की कल्पना पर कार्य करेगा। कानून जिस संदेह पर विचार करता है वह किसी भ्रमित दिमाग का नहीं बल्कि विवेकशील व्यक्ति का है जिसके बारे में माना जाता है कि वह "अनाज से भूसी को अलग करने" की क्षमता रखता है। प्रमाण के स्तर को निश्चितता तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें उच्च स्तर की संभावना होनी चाहिए। [पैरा 18) [465-सी-ई)

2. किसी गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए न्यायालय को यह आकलन करना होता है कि समग्र रूप से पढ़ने पर वह सत्य है या नहीं। ऐसा करने में, न्यायालय को यह पता लगाने के लिए कमियों, खामियों और कमजोरियों को ध्यान में रखना होगा कि क्या ऐसी विसंगतियां सत्यता को प्रभावित करतीं हैं। कुछ विसंगतियाँ जो किसी प्रकरण के मर्म को नहीं छूतीं, वे सम्पूर्ण साक्ष्य को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कोई भी सच्चा गवाह कुछ विसंगतिपूर्ण विवरण देने से बच नहीं सकता। केवल जब विसंगतियां इतनी असंगत हों कि गवाह के बयान की विश्वसनीयता को प्रभावित करें, तो न्यायालय साक्ष्य को अस्वीकार कर सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 संदेह को पूर्व असंगत बयान के सबूत द्वारा गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल

उठाने में सक्षम बनाती है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 एक गवाह का ध्यान पिछले बयान के उस हिस्से की ओर आकर्षित करके खंडन करने की प्रक्रिया बताती है जिसका उपयोग प्रतिवाद के लिए किया जाना है। पहले वाले बयान में वर्तमान बयान को अविश्वासनीय बनाने का प्रभाव होना चाहिए, लेकिन केवल इसलिए कि बाद वाला बयान कुछ हद तक पहले वाले से भिन्न है, इसे विरोधाभास के रूप में मानने के लिए पर्याप्त नहीं है। हर विसंगति गवाह की साख और विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती है। एक गवाह का करीबी रिश्तेदार होना उसकी गवाही को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है यदि वह विश्वसनीय है। कोई भी रिश्ता वास्तविक अपराधी को छुपा नहीं सकता। यह आकलन करने के लिए साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए कि क्या किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है। किसी 'पक्षपातपूर्ण' या 'हितबद्ध' गवाह के साक्ष्य को यांत्रिक रूप से अस्वीकार करने से न्याय की विफलता हो सकती है। यह सर्वविदित है कि सिद्धांत "फाल्सस इन उनो, फाल्सस इन ऑम्निबस" की कोई सामान्य स्वीकार्यता नहीं है। समान साक्ष्य के आधार पर, अपराध की प्रकृति के आधार पर कुछ आरोपी व्यक्तियों को बरी किया जा सकता है जबकि अन्य को दोषी ठहराया जा सकता है। न्यायालय बरी किए गए आरोपी को दोषी करार दिए गए आरोपी से अलग कर सकता है। एक गवाह कुछ पहलुओं में झूठा हो सकता है फिर भी साक्ष्य का दूसरा भाग स्वीकार्य हो सकता है। [पैरा 19] [465-एफ-एच; 466-ए-डी]

3. एक व्यक्ति द्वारा किसी गैरकानूनी जमावड़े के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया गया अपराध सामान्य उद्देश्य को साझा करने वाले गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों को परोक्ष रूप से अपराध के लिए उत्तरदायी बनाता है। जमावड़े के सदस्यों के आचरण, भाषा और आसपास की सभी परिस्थितियों से सामान्य उद्देश्य का पता लगाना होगा। इसका मूल्यांकन जमावड़े की प्रकृति, सदस्यों द्वारा उपयोग में लिए गए हथियारों और घटना स्थल पर या उसके निकट सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया

जाना चाहिए। सामान्य उद्देश्य को साझा करना एक मानसिक दृष्टिकोण है जिसका पता किसी व्यक्ति के कार्य और उसके परिणाम चलता है। [पैरा 21] [466-जी; 467-ए]

4. जब एक व्यक्ति की हत्या हो गई और छह अन्य घायल हो गए, तो विचारण न्यायालय ने घायल चश्मदीदों सहित पूरे साक्ष्य को खारिज करके विकृत दृष्टिकोण अपनाया है। कुछ विरोधाभासों को छोड़कर, प्रत्यक्षदर्शियों पीडब्लू 10, 11, 15, 12 और 18 का बयान सुसंगत है। उनके साक्ष्यों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। बेशक, न्यायालय को सबूतों का मूल्यांकन करते समय सतर्क रहना होगा और अतिशयोक्ति को खारिज करना होगा। ए 5 का संस्करण संभावित नहीं है और केवल यह तथ्य कि उस पर चोट की व्याख्या नहीं की गई है, अभियोजन पक्ष के बयान को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे मामले में, न्यायालय को यह जांचना है कि क्या सबूत भरोसेमंद हैं, अभियुक्तों पर चोटों का स्पष्टीकरण न देना एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसके लिए न्यायालय को खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है कि साक्ष्य के सही संस्करण को दबाया नहीं गया है और क्या बचाव पक्ष की साक्ष्य संभाव्य है। यह अपने आप में अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चूंकि चश्मदीद गवाह के बयान को अस्वीकार करना अनावश्यक है, विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए अन्य कारण अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। भले ही बरामदगी या रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट की उपेक्षा की गई हो, उनका केवल पुष्टिकारक मूल्य ही है, अभियोजन का मामला विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी के बयान से साबित होता है। केवल यह तथ्य कि कुछ गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है, कोई मायने नहीं रखता जब मामले को साबित करने के लिए विश्वसनीय सबूत पेश किए गए हों। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को पलट कर उचित किया। [पैरा 22, 23, 25) [467-एच; 468-ए, सी-ई; 469- डी-ई]

5. यदि अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के फैसले को पलटना है, तो विचारण न्यायालय के तर्क का उल्लेख करना होगा और दोषमुक्ति के आदेश को पलटने की अनुमति केवल तभी है जब विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण न केवल गलत है, बल्कि अनुचित और विकृत भी है। साथ ही, अपीलीय न्यायालय के पास सबूतों की समीक्षा करने और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने की पूरी शक्ति है। यदि दोषमुक्ति उचित नहीं है तो अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति को रद्द कर सकता है। बेशक, अपीलीय न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना होगा विचारण न्यायालय को गवाहों के परीक्षण का लाभ मिला है और निर्दोषता की धारणा दोषमुक्ति करने से कमजोर नहीं होती है। यदि दो उचित निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांतों का पालन किया है। [पैरा 28] [470-एफ-एच; 471-ए)

6. जब गैरकानूनी जमावड़े की भीड़ कोई अपराध करती है, तो प्रत्येक हमलावर द्वारा निभाई गई भूमिका का सटीक वर्णन करना अक्सर संभव नहीं होता है। हालांकि ऐसे मामलों में सबूतों का मूल्यांकन करना एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन न्यायालय को सबूतों को सावधानीपूर्वक छांटने का अपना कर्तव्य निभाना होगा। मौजूदा मामले में, सभी पांच चश्मदीद गवाहों ने ए1 से ए7 तक का नाम लिया है। अन्य अभियुक्तों का नाम पीडब्ल्यू 11 और पीडब्ल्यू18 द्वारा नहीं दिया गया है ए10 और ए11 को संदेह का लाभ इस कारण से दिया गया है कि उन्हें पीडब्ल्यू11 और पीडब्ल्यू18 द्वारा नामित नहीं किया गया है और इस कारण से भी कि पीडब्ल्यू10 ने केवल ए1 से ए7 पर अपराध में विशिष्ट भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। लेकिन जहां तक ए1 से ए 7 का सवाल है (ए2 की पहले ही मृत्यु हो चुकी है) सभी पांच गवाहों ने लगातार उनका नाम लिया है। ए1 से ए 7 को मृतक पर हमला करने में विशिष्ट भूमिका सौंपी

गई है। आईपीसी की धारा 302/149 के तहत उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा जाना चाहिए। [पैरा 31,32] [472-ए-डी]

मसलती बनाम यू. पी. राज्य (1964) 8 एस. सी. आर. 133 पर भरोसा किया गया। पदम सिंह बनाम यू.पी.राज्य 1999 (5) पूरक एस. सी. आर. 59: (2000) 1 एस. सी. सी. 621; देवता वेंकटस्वामी बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (2003) 10 एस. सी. सी. 700; नरेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2004 (3) एस. सी. आर. 1148:(2004) 10 एस. सी. सी 699; प्रसन्न दास बनाम उड़ीसा राज्य (2004) 13 एस. सी. सी. 30; मज्जल बनाम हरयाणा राज्य (2013) 6 एस. सी. सी. 798; ललिता कुमारी बनाम यू.पी. सरकार 2013 (14) एस. सी. आर. 713: (2014) 2 एस. सी. सी. 1; बेबी उर्फ सेबेश्चियन बनाम केन्द्रीय पुलिस निरीक्षक (2016) 7 स्केल 444; दामोदर बनाम राजस्थान राज्य 2003 (3) पूरक एस. सी. आर. 904: (2004) 12 एस. सी. सी. 336; मनो दत्त और एक अन्य बनाम यू. पी. राज्य 2012 (3) एस. सी. आर. 686: (2012) 4 एस. सी. सी. 79; संजीव बनाम हरयाणा राज्य 2015 (2) एस. सी. आर. 210: (2015) 4 एस. सी. सी. 387; ए. शंकर बनाम कर्नाटक राज्य 2011 (6) एस. सी. आर. 999: (2011) 6 एस. सी. सी. 279; कर्नाटक राज्य बनाम स्वरनम्मा और एक अन्य 2014 (10) एस. सी. आर. 778: (2015) 1 एस. सी. सी. 323; बावा हाजी हम्सा बनाम केरल राज्य (1974) 4 एस. सी. सी. 479; पतई उर्फ कृष्ण कुमार बनाम यू. पी. राज्य 2010 (3) एस. सी. आर. 1135: (2010) 4 एस. सी. आर. 429; रवीश्वर मांझी बनाम झारखंड राज्य 2008 (17) एस. सी. आर. 420: (2008) 16 एस. सी. सी. 561; टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य 2001 (3) एस. सी. आर. 942: (2001) 6 एस. सी. आर. 181; विजयी सिंह बनाम यूपी राज्य 1990 (2) एस. सी. आर. 573: (1990) 3 एस. सी. सी. 190; लीला राम बनाम हरियाणा राज्य 1999 (3) पूरक एस. सी. आर. 435: (1999) 9

एस. सी. सी. 525; गंगाधर बहड़ा बनाम उड़ीसा राज्य 2002 (3) पूरक एस. सी. आर. 183: (2002) 8 एस. सी. सी. 381; तखाजी हीराजी बनाम ठाकुर कुबेरसिंह चमन सिंह (2001) 6 एस. सी. सी. 145; मनो दुत्त बनाम यूपी राज्य 2012 (3) एस. सी. आर. 686: (2012) 4 एस. सी. सी. 79; आनंद मोहन बनाम बिहार राज्य 2012 (10) एस. सी. आर. 1: (2012) 7 एस. सी. सी. 225- संदर्भित।

प्रकरण कानूनी संदर्भ

1999 (5) पूरक एस.सी.आर. का पैरा 14 संदर्भित

(2003) 10 एस. सी. सी. 700 का पैरा 14 संदर्भित

2004 (3) एस.सी.आर. 1148 का पैरा 14 संदर्भित

(2004) 13 एस. सी. सी. 30 का पैरा 14 संदर्भित

(2013) 6 एस. सी. सी. 798 का पैरा 14 संदर्भित

2013 (14) एस.सी.आर. 713 का पैरा 14 संदर्भित

(2016) 7 स्केल 444 का पैरा 14 संदर्भित

2003 (3) पूरक एस.सी.आर. 904 का पैरा 15 संदर्भित

2012 (3) एस.सी.आर. 686 का पैरा 15 संदर्भित

2015 (2) एस.सी.आर. 210 का पैरा 15 संदर्भित

2011 (6) एस.सी.आर. 999 का पैरा 15 संदर्भित

2014 (10) एस.सी.आर. 778 का पैरा 15 संदर्भित

(1974) 4 एस. सी. सी. 479 का पैरा 15 संदर्भित

2010 (3) एस.सी.आर. 1135 का पैरा 15 संदर्भित

2008 (17) एस.सी.आर. 420 का पैरा 15 संदर्भित

2001 (3) एस.सी.आर. 942 का पैरा 15 संदर्भित

1990 (2) एस.सी.आर. 573 का पैरा 18 संदर्भित

1999 (3) पूरक एस.सी.आर. 435 का पैरा 19 संदर्भित

2002 (3) पूरक एस.सी.आर. 183 का पैरा 19 संदर्भित

(2001) 6 एस. सी. सी. 145 का पैरा 23 संदर्भित

2012 (3) एस.सी.आर. 686 का पैरा 23 संदर्भित

2012 (10) एस.सी.आर. 1 का पैरा 26 संदर्भित

(1964) 8 एस.सी.आर. 133 का पैरा 31 संदर्भित

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1516/2011

आपराधिक अपील संख्या 533/1990 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 20.04.2007 से।

पक्षकारों के लिए एच. एन. नागमोहन दास, सुशील कुमार जैन, वरिष्ठ अधिवक्तागण, शिरीश के. देशपांडे, मोहित गौतम, डी. एम. नारगोलकर, शिवाजी एम. जाधव, अंशुमन अनिमेष, सुश्री साक्षी कौशिक, अभिनव गुप्ता, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, सुशील करंजकर, धर्मेंद्र किशोर, के. एन. राय अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय आदर्श कुमार गोयल, जे. द्वारा पारित किया गया। 1. अपीलकर्ता आपराधिक अपील संख्या 533/1990 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 20 अप्रैल, 2007 से व्यथित हैं, जिसके तहत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें धारा 147, 149, 302 सपठित धारा 149, 324, 326 के तहत दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास, इसके अलावा अन्य छोटी सजाएं जो एक साथ चलेंगी और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

2. मूल रूप से 16 आरोपी थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं:-

1) भगवान जगन्नाथ मरकड

2) जनार्दन रामभाऊ ताते

3) दादा सैयदनूर मुलानी,

4) सैय्यद सैय्यदनूर मुलानी,

5) संदीपन सखारा कोयले,

6) निवृत्ति सखाराम कोयले,

7) कृष्ण सखाराम कोयले,

8) शैलेन्द्र संदीपन कोयले,

9) चंद्रकांत शंकर मरकड़,

10) बाबू राम बेरड,

11) बालू नारदेव बेरड,

12) माणिक राम बेरड,

13) पांडुरंग बाबू अराडे,

14) सदाशिव साहू अराडे,

15) किसन राम बेरड, और

16) अप्पा शब्बू अराडे।

3. विचारण न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपी संख्या 8, 9, 12, 13, 14, 15 और 16 की दोषमुक्ति को बरकरार रखा।

4. आरोपी संख्या 2 की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार, आठ अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष हैं। वे क्रमशः है- ए1 भगवान जगन्नाथ मर्कड; ए3 दादा सैयदनूर मुलानी; ए4 सैय्यद सैय्यदनूर मुलानी; ए5 संदीपन सखारा कोयले; ए6 निवृत्ति सखाराम कोयले; ए7 कृष्ण सखाराम कोयले; ए10 बाबू राम बेरड और ए11 बालू नारदेव बेरड।

5. अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिभीषण विठोबा खाडले नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और आरोपियों द्वारा हमले में छह लोग घायल हुए हैं, जिनमें इंदुबाई, पीडब्लू 11 दगडु गोपीनाथ कोयले, पीडब्लू 18 चतुर्भुज खड़े, पीडब्लू 15 बिभीषण क्षीरसागर, गोपीनाथ महादेव कोयले और पीडब्लू 12 कर्नथ कोयले शामिल हैं।

6. पीडब्लू 10 सत्यभामा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में दर्ज अभियोजन के साक्ष्य के अनुसार, उनके पति पीडब्लू 11 दगड़ू गोपीनाथ कोयले, ससुर गोपीनाथ कोयले, मृतक विभीषण विठोबा खाडले, पीडब्लू 18 चतुर्भुज खड़े, पीडब्लू 15 बिभीषण क्षीरसागर सहित अन्य लोग घटना के दिन दिनांक 13 नवम्बर 1988 को अपने घर में मौजूद थे, जब दोपहर 12 बजे सभी आरोपी उसके पति पर हमला करने उसके घर आये। आरोपी संख्या 3 दादा सैयदनूर मुलानी ने घर में आग लगा दी, जिसके कारण सभी लोग बाहर आ गए। आरोपी संख्या 1 और 2 भगवान जगन्नाथ मरकड और जनार्दन रामभाऊ ताते ने दगड़ू के हाथ, पैर और घुटनों पर तलवार से हमला किया। आरोपी संख्या 3 दादा सैयदनूर के पास बरछी थी। आरोपी संख्या 4 सैय्यद सैय्यदनूर मुलानी के पास चाकू था। आरोपी संख्या 5 संदीपन सखाराम कोयले के पास लोहे की रॉड थी। आरोपी संख्या 6 निवृत्ति सखाराम कोयले के पास बरछी थी। आरोपी संख्या 7 कृष्णा सखाराम कोयले के पास कुल्हाड़ी थी। आरोपी संख्या 10 और 11 बाबू रामा बेरड और बालू नारदेव बेरड के पास कुल्हाड़ी थी। आरोपी संख्या 8 शैलेन्द्र संदीपन कोयले के पास लाठियां थीं। पीडब्ल्यू 11 दगड़ू पिटाई के कारण गिर गया और बेहोश हो गया। आरोपी संख्या 3 दादा सैय्यदनूर, आरोपी संख्या 4 सैय्यद सैय्यदनूर मुलानी, आरोपी संख्या 5 संदीपन सखाराम कोयले, आरोपी संख्या 6 निवृत्ति सखाराम कोयले, आरोपी संख्या 7 कृष्णा सखाराम कोयले ने मृतक विभीषण विठोबा खाड़े को पीटा। आरोपी संख्या 1 और 2 भगवान जगन्नाथ मरकड और जनार्दन रामभाऊ ताते ने भी मृतक विभीषण विठोबा खाडले पर हमला किया। इसके बाद आरोपियों ने पी डब्ल्यू 11 दगडु गोपीनाथ कोयले

और पी डब्ल्यू 18 चतुर्भुज खाड़े को लाठियों और तलवारों से पीटा। यह घटना पंचायत और सहकारी समिति चुनाव में पार्टी गुट के कारण हुई दुश्मनी का नतीजा थी।

7. न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान में, उपरोक्त संस्करण को दोहराने के अलावा, पीडब्ल्यू 10 सत्यभामा ने आगे कहा कि घायल दगड़ू और मृतक विभीषण विठोबा खाड़े को मुख्य सड़क तक ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की गई थी और उसके बाद उन्हें एक जीप में ले जाया गया। रास्ते में शाम 5.30 बजे एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद घायल और मृतक को पीएचसी और फिर सिविल अस्पताल ले जाया गया। पी डब्ल्यू 11 दगड़ू तीन से चार महीने तक अस्पताल में और उसके बाद दो से तीन महीने तक निजी अस्पताल में रहा।

8. एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच की गई और न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। आरोपियों ने आरोप से इनकार किया। हालाँकि, आरोपी संख्या 5 संदीपन सखाराम ने कहा कि उसे दगड़ू ने मृतक बिभीषण विठोबा खाड़े के माध्यम से अपने घर पर बुलाया था, जहां पीडब्लू 18 चतुर्भुज खाड़े और पीडब्लू 12 कर्नाथ कोयले भी मौजूद थे। पीडब्ल्यू 11 दगडु ने उससे कहा कि उसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हालाँकि, उक्त आरोपी ने जवाब दिया कि पीडब्ल्यू 11 दगड़ू 10-12 वर्षों तक सरपंच रहा है और इस प्रकार, आरोपी को सरपंच बनने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके कारण पीडब्लू 11 दगड़ू और मृतक बिभीषण विठोबा खाड़े के बीच आपसी मारपीट हुई और उक्त आरोपी पर भी पीडब्लू 11 दगड़ू द्वारा हमला किया गया।

9. अभियोजन पक्ष ने चिकित्सीय साक्ष्य, महत्वपूर्ण सबूतों की बरामदगी, चश्मदीद गवाहों और जांच से जुड़े सबूत पेश किए। हम केवल रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक साक्ष्य का संदर्भ देंगे। पीडब्लू 4 डॉ. श्रवण गव्हाणे ने मृतक का पोस्टमार्टम किया और उसके शरीर पर सात चोटें पाईं। चोट संख्या 1 सिर पर थी जो घातक पाई

गई। चोट संख्या 2 से 7 लाठी या तलवार जैसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी हुई बताई गईं। पीडब्लू 5 डॉ. दिनेश कुमार ने घायल पीडब्लू 11 दगडू की जांच की और 10 चोटें पाईं जिनमें आठ कटे हुए घाव, गोपीनाथ महादेव कोयले के दो चोटें, पीडब्लू 18 चतुर्भुज खाड़े के एक नीलगू चोट, मुरलीधर येशु क्षीरसागर के तीन चोटें शामिल थीं। उन्हें आरोपी नंबर 5 संदीपन सखाराम की दाहिनी बांह पर एक कटा हुआ घाव भी मिला। उन्हें बिभीषण पीडब्लू 15 के दो चोटें मिलीं।

10. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 10 सत्यभामा, पीडब्लू 11 दगडु, पीडब्लू 15 बिभीषण क्षीरसागर, पीडब्लू 18 चतुर्भुज खाड़े, पीडब्लू 12 केरनाथ कोयले द्वारा दिए गए प्रत्यक्षदर्शी बयान पर भरोसा किया। पीडब्लू 2 शिवाजी फुगे, पीडब्लू 3 युवराज कोयले, पीडब्लू 7 भीमराव और पीडब्लू 9 भीमराव धावले साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बयानों के अनुसरण में बरमदगी के गवाह हैं। बरामद वस्तुओं में से कुछ पर ब्लड ग्रुप के बारे में केमिकल एनालाइजर की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।

11. विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए विवरण को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से खारिज कर दिया:

(i) बरमदगी स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि बरामद वस्तुओं का स्थान पहले से ही ज्ञात था;

(ii) केस प्रॉपर्टी को केमिकल एनालाइजर के पास भेजने में अत्यधिक देरी हुई और टेम्परिंग (घाल-मेल) की संभावना से इंकार नहीं किया गया;

(iii) हमले के तरीके और इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर पीडब्ल्यू केरनाथ कोयले, बिभीषण विठोबा खाडले और चतुर्भुज खाड़े के साक्ष्य में असंगतता थी;

(iv) अभियोजन पक्ष ने इंदुबाई और गोपीनाथ से पूछताछ नहीं की;

(v) मकसद साबित नहीं किया गया क्योंकि पंचायत या सहकारी समिति का कोई तत्काल चुनाव नहीं हुआ था;

(vi) प्रारंभ में पुलिस को दिए गए बयान और न्यायालय के समक्ष दिये गए बयान में सुधार हुआ था; और

(vii) सभी महत्वपूर्ण गवाह या तो संबंधित हैं या अन्यथा हितबद्ध हैं और महत्वपूर्ण विवरणों में पुष्टि के अभाव में उनकी गवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

12. उच्च न्यायालय ने पाया कि विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करना चूक और विरोधाभासों पर आधारित था जो महत्वपूर्ण नहीं थे और अभियोजन मामले की सत्यता को प्रभावित नहीं करते थे। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने "पूरी तरह से विकृत दृष्टिकोण" अपनाया। ऐसा देखा गया:

> "32. यह सच है कि विरोधाभास और चूक हुई है, लेकिन उनमें से कोई भी, हमारे अनुसार, महत्वपूर्ण या वस्तुगत नहीं है। वे विवरण के संबंध में हैं। जब 7/8 व्यक्ति घायल हों और हमलावर लगभग 16 हों, तो ये चूक होना लाजिमी है। वे स्वाभाविक चूक और विरोधाभास हैं और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो इन विरोधाभासों और चूक के प्रभाव को मिटा देता है वह यह है कि शिकायतकर्ता की ओर से कई लोगों को चोटें आईं, इसी प्रकार आरोपी नंबर 5 को भी चोटें आईं।

33. यह अभियुक्त की आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का मामला नहीं है। हमारे समक्ष ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई गई और न ही अभियोजन पक्ष के मामले से ऐसी किसी भी याचिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरोपी द्वारा उठाए जाने की अनुमति दी जा सकती है। आरोपी हमलावर हैं। उन्होंने उस समय हमला किया जब शिकायतकर्ता पक्ष के लोग दिवाली मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। वस्ती को आग लगा दी गई। उक्त हमले में बिभीषण खाड़े की मृत्यु हो गई और शिकायतकर्ता पक्ष के कई लोगों को चोटें आईं। हमला तलवार, बरछी, चाकू, गुप्ती और लाठी जैसे घातक हथियारों से किया गया था। इसलिए, यह सभी 16 आरोपियों को स्पष्ट रूप से दोषमुक्त करने का मामला नहीं था। किसी और पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। जांच त्वरित और तेज़ है और भले ही आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी के संबंध में अन्य सबूतों पर विचार नहीं किया गया है, उपरोक्त गवाहों पी डब्ल्यू 10, 11, 12, 13, 15 और 18 और उन दो डॉक्टरों सहित हमारे द्वारा चर्चा किए गए अन्य लोगों के मौखिक साक्ष्य और नेत्र साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से साबित करते हैं। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत हैं और इसलिए इस अपील की अनुमति दी जानी आवश्यक है, लेकिन सवाल यह है कि किस हद तक अनुमति दी जानी चाहिए और यह अपील किस आरोपी के खिलाफ है। चश्मदीद गवाहों विशेषकर पीडब्लू 10, 11, 15 और 18 के साक्ष्यों की बारीकी से जांच से पता चलता है कि पीडब्लू 10 ने आरोपी संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 और 11 को झूठा फंसाया है। पीडब्लू 11 ने आरोपी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

को फंसाया है और पीडब्लू 11 के अनुसार, आरोपी संख्या 3 ने वस्ती में आग लगा दी। पीडब्लू 15 ने आरोपी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 और 11 को फंसाया है। पीडब्लू 18 ने आरोपी संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7 को फंसाया है और उसके अनुसार, आरोपी संख्या 3 ने वस्ती को आग लगाई। अन्य सबूतों के अलावा, आरोपी नंबर 5 संदीपन की घटनास्थल पर मौजूदगी उसको लगी चोटों के कारण पूरी तरह से साबित हो गई है। कुल मिलाकर 16 आरोपी हैं। उपरोक्त साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, दोषमुक्ति के खिलाफ इस अपील को आरोपी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 और 11 के संबंध में स्वीकार किया जाना चाहिए और उनके दोषमुक्ति के आदेश को रद्द किया जाना आवश्यक है। जहां तक आरोपी संख्या 8, 9, 12, 13, 14, 15 और 16 का सवाल है, उनकी दोषमुक्ति को बरकरार रखा जाना जरूरी है। निस्संदेह, आरोपी संख्या 1 से 7 और 10 और 11 ने हमला करने के सामान्य उद्देश्य से एक गैरकानूनी जमावड़े का गठन किया था। दगड़ू के घर या बस्ती में आग लगा दी गई। हमले में बिभीषण खाड़े की मृत्यु हो गई और पीडब्लू 11, 15 और 18 और अन्य को घातक हथियारों से चोटें आईं। इसलिए, बिभीषण खाड़े की हत्या के लिए आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 सपठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाना आवश्यक है और उपरोक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों और अन्य लोगों को गंभीर चोटें पहुंचाने के लिए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 326 सपठित 149 के तहत दोषी ठहराया जाना आवश्यक है। जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 436 के तहत अपराध का सवाल है, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य सुसंगत

नहीं हैं और इसलिए, किसी को भी उस धारा के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"

13. हमने एक ओर अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता जो राज्य के भी विद्वान अधिवक्ता है, को सुना है और दूसरी ओर शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना है और उनकी सहायता से, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

14. अपीलकर्ताओं की ओर से उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दोषमुक्ति का निर्णय निश्चित रूप से साक्ष्य के मूल्यांकन पर एक संभावित दृष्टिकोण था और उच्च न्यायालय इसे पलट नहीं सकता था क्योंकि इसमें कोई विकृति नहीं थी। उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों पर पूरी तरह से विचार नहीं किया है और न ही अभियोजन पक्ष के बयान को खारिज करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारणों पर चर्चा की है। आरोपी संख्या 5 को लगी चोट का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में चूक और विरोधाभास हैं। पीडब्लू 12 द्वारा दिए गए पहले बयान में, अभियुक्तों का नाम नहीं दिया गया है और उक्त संस्करण को एफआईआर के रूप में दर्ज करने के बजाय, पीडब्लू 10 के विलंबित बयान पर एफआईआर दर्ज की गई, जो कि संशोधित बयान था। सीआरपीसी की धारा 162 के स्पष्टीकरण के अनुसार पुलिस को दिए गए बयान में चूक विरोधाभास के समान है। इस प्रकार, चश्मदीद गवाह पीडब्ल्यू 10, 11, 12, 15 और 18 के साक्ष्य को विचारण न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सका। चूंकि पक्षों के बीच दुश्मनी थी, इसलिए अतिशयोक्ति और गलत आरोप लगाने की संभावना थी और अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि घटना 28 साल पुरानी थी, इसलिए कुछ अपीलकर्ता बहुत बूढे हो गए हैं और इस स्तर पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। पदम सिंह बनाम यूपी

राज्य ((2000) 1 एस.सी.सी. 621), देवता वेंकटस्वामी बनाम ए.पी. उच्च न्यायालय के लोक अभियोजक ((2003) 10 एस.सी.सी. 700), नरेंद्र सिंह बनाम एम.पी. राज्य ((2004) 10 एस.सी.सी. 699), प्रसन्ना दास बनाम उड़ीसा राज्य ((2004) 13 एस.सी.सी. 30), मज्जल बनाम हरियाणा राज्य ((2013) 6 एस.सी.सी. 798), ललिता कुमारी बनाम यू.पी. सरकार ((2014) 2 एस.सी.सी. 1) और बेबी उर्फ सेबेस्टियन बनाम सेंट्रल पुलिस इंस्पेक्टर ((2016) 7 स्केल 444) में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

15. दूसरी ओर, राज्य और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया और बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के कारण विकृत थे और उच्च न्यायालय ने उक्त कारणों से विधिवत निपटा और उन्हे विकृत पाया। घायल चश्मदीद गवाहों द्वारा सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं जिन्हें पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। विरोधाभास और चूक जो महत्वपूर्ण या भौतिक नहीं हैं, हर मामले में होते हैं। इससे मुख्य संस्करण की विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं पड़ा कि आरोपी ने मृतक की हत्या की और शिकायतकर्ता पक्ष के छह लोगों को घायल कर दिया। अभियुक्तों ने गैरकानूनी जमावड़े का गठन किया और गैरकानूनी जमावड़े के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में एक भी अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य या जिसके द्वारा ऐसा कृत्य किए जाने की संभावना ज्ञात थी, कानून के अनुसार सभी अभियुक्तों द्वारा किया गया कृत्य था। अलग-अलग आरोपियों की व्यक्तिगत भूमिका साबित करना जरूरी नहीं था। पी डब्ल्यू 12 द्वारा टेलीफोन पर दी गई जानकारी गुप्त थी और इसे एफआईआर के रूप में नहीं माना जा सकता था। हालाँकि उसमें आरोपी संख्या 5 का नाम बताया गया था और आगे कहा गया था कि उसके साथ अन्य लोग भी थे, लेकिन अन्य विवरण का उल्लेख नहीं किया गया था। यह सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज किए जाने वाले बयान के अनुरूप

नहीं था, जिसे एफआईआर के रूप में माना जा सके। इस प्रकार, टेलीफोनिक संदेश को एफआईआर नहीं माना जा सकता। पुलिस स्टेशन में दिए गए पीडब्लू 10 के बयान को उचित रूप से एफआईआर के रूप में माना गया है। उक्त कथन त्वरित था और इसे संशोधित बयान के रूप में नहीं माना जा सकता। इस बयान की पुष्टि न्यायालय के समक्ष एफआईआर के लेखक की शपथपूर्ण गवाही से हुई, जिसे चार अन्य घायल गवाहों द्वारा सभी महत्वपूर्ण विवरणों से पुष्ट किया गया है। इस प्रकार, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य पूरी तरह से अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को आवश्यक बना देते हैं और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। दामोदर बनाम राजस्थान राज्य ((2004) 12 एससीसी 336), मनो दत्त और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ((2012) 4 एससीसी 79), संजीव बनाम हरियाणा राज्य ((2015) 4 एससीसी 387), ए. शंकर बनाम कर्नाटक राज्य ((2011) 6 एसएससी 279), कर्नाटक राज्य बनाम सुवर्णम्मा एवं अन्य ((2015) 1 एससीसी 323), बावा हाजी हम्सा बनाम केरल राज्य ((1974) 4 एससीसी 479), पटाई उर्फ कृष्ण कुमार बनाम राज्य यूपी ((2010) 4 एससीसी 429), रवीश्वर मांझी बनाम झारखंड राज्य ((2008) 16 एससीसी 561) टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य ((2001) 6 एससीसी 181) प्रकरणों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

16. हमने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर उचित रूप से विचार किया है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपीलकर्ताओं की दोषमुक्ति के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा पलटना न्यायोचित था।

17. रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के संदर्भ में इस पहलू पर विचार करने से पहले, हम वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने वाले कानून के स्थापित सिद्धांतों पर विचार कर सकते हैं। किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन

करने के लिए आम तौर पर न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय के दृष्टिकोण पर भी इस न्यायालय के कई निर्णयों में चर्चा की गई है, जिनमें से कुछ को पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत किया गया है।

18. आपराधिक न्यायशास्त्र का यह स्वीकृत सिद्धांत है कि सबूत का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है और जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है। अभियोजन पक्ष को अपना मामला उचित संदेह से परे साबित करना होगा और आरोपी उचित संदेह का लाभ पाने का हकदार है। उचित संदेह वह है जो एक विवेकशील और तर्कवान व्यक्ति को होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 दो स्थितियों को संदर्भित करती है- (i) जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में पूरी तरह से निश्चित महसूस करता है- "उसके अस्तित्व पर विश्वास करता है" और (ii) जब वह पूरी तरह से निश्चित नहीं है और सोचता है कि इस बात की इतनी अधिक संभावना है कि एक विवेकशील व्यक्ति, परिस्थितियों में, इसके अस्तित्व की कल्पना पर कार्य करेगा। कानून जिस संदेह पर विचार करता है वह किसी भ्रमित दिमाग का नहीं बल्कि विवेकशील व्यक्ति का है जिसके बारे में माना जाता है कि वह "अनाज से भूसी को अलग करने" की क्षमता रखता है। प्रमाण की डिग्री को निश्चितता तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उच्च स्तर की संभावना होनी चाहिए (विजयी सिंह बनाम यूपी राज्य- (1990) 3 एससीसी 190, पैरा18, 28-30)

19. किसी गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को यह आकलन करना होता है कि समग्र रूप से पढ़ने पर वह सत्य है या नहीं। ऐसा करने में, न्यायालय को यह पता लगाने के लिए कमियों, खामियों और कमजोरियों को ध्यान में रखना होगा कि क्या ऐसी विसंगतियां सत्यता को प्रभावित करतीं हैं। कुछ विसंगतियाँ जो मामले के मर्म को नहीं छूतीं, वे पूरे साक्ष्य को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

कोई भी सच्चा गवाह कुछ विसंगतिपूर्ण बयान देने से बच नहीं सकता। केवल जब विसंगतियां इतनी असंगत हों कि गवाह के बयान की विश्वसनीयता को प्रभावित करें, तो न्यायालय साक्ष्य को अस्वीकार कर सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 संदेह को पूर्व असंगत बयान के सबूत द्वारा गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने में सक्षम बनाती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 एक गवाह का ध्यान पिछले बयान के उस हिस्से की ओर आकर्षित करके प्रतिवाद करने की प्रक्रिया बताती है जिसका उपयोग प्रतिवाद करने के लिए किया जाना है। पहले वाले बयान में वर्तमान बयान को खारिज करने का प्रभाव होना चाहिए, लेकिन केवल इसलिए कि बाद वाला बयान कुछ हद तक पहले वाले से भिन्न है, इसे विरोधाभास के रूप में मानने के लिए पर्याप्त नहीं है। हर विसंगति गवाह की साख और विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती है। कभी-कभी अतिशयोक्ति या अलंकरण हो सकता है जो विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करता है। न्यायालय को महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर विचार करके सच्चाई का पता लगाना होगा। किसी बयान को आंशिक रूप से अस्वीकार किया जा सकता है या आंशिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है (लीला राम बनाम हरियाणा राज्य (1999) 9 एससीसी 525, पैरा 9-13)। स्वतंत्र गवाहों की कमी या किसी अपराध के गवाहों का असामान्य व्यवहार साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक गवाह का करीबी रिश्तेदार होना उसकी गवाही को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है यदि वह अन्यथा विश्वसनीय है। कोई भी रिश्ता वास्तविक अपराधी को छुपा नहीं सकता। यह आकलन करने के लिए साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जा सकती है कि क्या किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है। किसी 'पक्षपातपूर्ण' या 'हितबद्ध' गवाह के साक्ष्य को यांत्रिक रूप से अस्वीकार करने से न्याय की विफलता हो सकती है। यह सर्वविदित है कि सिद्धांत "एक में झूठ, सभी में झूठ" की कोई सामान्य स्वीकार्यता नहीं है (गंगाधर बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (2002) 8 एससीसी 381- पैरा 15)। अपराध की

प्रकृति के आधार पर, समान साक्ष्य पर, कुछ आरोपी व्यक्तियों को बरी किया जा सकता है जबकि अन्य को दोषी ठहराया जा सकता है। न्यायालय बरी किए गए आरोपी को दोषी करार दिए गए आरोपी से अलग कर सकती है। एक गवाह कुछ पहलुओं में झूठा हो सकता है लेकिन फिर भी साक्ष्य का दूसरा भाग स्वीकार्य हो सकता है। विसंगतियां अवलोकन में त्रुटि, समय बीत जाने के कारण स्मृति हानि, घटना के समय सदमे जैसी मानसिक स्थिति के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और इस तरह सामान्य विसंगति गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती है।

20. संदेह के लाभ के नियम को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने से न्याय की विफलता हो सकती है। दोषियों को बच निकलने देना न्याय नहीं है। एक न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई न केवल यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि किसी निर्दोष को सजा न मिले, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करते है कि दोषी बच न पाए (गंगाधर बेहरा (उपर्युक्त) पैरा 17)।

21. एक व्यक्ति द्वारा किसी गैरकानूनी जमावड़े के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया गया अपराध सामान्य उद्देश्य को साझा करने वाले गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों को परोक्ष रूप से अपराध के लिए उत्तरदायी बनाता है। सभा के सदस्यों के आचरण, भाषा और आसपास की सभी परिस्थितियों से सामान्य उद्देश्य का पता लगाना होगा। इसका पता सदस्यों के आचरण से लगाया जा सकता है। इसका मूल्यांकन सभा की प्रकृति, सदस्यों द्वारा ले जाने वाले हथियारों और घटना स्थल पर या उसके निकट सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।सामान्य उद्देश्य को साझा करना एक मानसिक दृष्टिकोण है जो किसी व्यक्ति के कार्य और उसके परिणाम से प्राप्त होता है। सामान्य उद्देश्य का अनुमान कब लगाया जा सकता है, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया जा सकता है। जब हमलावरों की भीड़ किसी गैरकानूनी जमावड़े की

सदस्य हो, तो गवाहों के लिए प्रत्येक हमलावर द्वारा निभाई गई भूमिका का सटीक वर्णन करना संभव नहीं हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्य वास्तविक हमले में भाग लें (गंगाधर बेहरा (सुप्रा), पैरा 22-24)। गंगाधर बेहरा (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने कहा:

> "25. अन्य दलील कि अभियुक्तों को निश्चित भूमिकाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है और इसलिए धारा 149 लागू नहीं होती है, संधारणीय नहीं है। मसलती [ए.आई.आर. 1965 एस.सी 202] मामले में इस न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की:
>
> "15. फिर यह आग्रह किया गया है कि गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य समान पैटर्न के अनुरूप हैं और चूंकि सभी हमलावरों को विशिष्ट रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, इसलिए उस साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। यह समीक्षा भी सुस्थापित नहीं है। जहां गैरकानूनी जमावड़े के सदस्य हमलावरों की भीड़ गैरकानूनी जमावड़े के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में हत्या का अपराध करने के लिए आगे बढ़ती है, गवाहों के लिए प्रत्येक हमलावर द्वारा निभाई गई भूमिका का सटीक वर्णन करना अक्सर संभव नहीं होता है। इसके अलावा, यदि हथियारों से लैस व्यक्तियों की एक भीड़ पीड़ितों पर हमला करती है, तो यह आवश्यक नहीं है कि उन सभी को वास्तविक हमले में भाग लेना पड़े। उदाहरण के लिए, वर्तमान मामले में गैरकानूनी जमावड़े के विभिन्न सदस्यों द्वारा कई हथियार रखे गए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था और वे 5 व्यक्तियों को

मारने के लिए पर्याप्त थे। ऐसे मामले में, यह तर्क देना अनुचित होगा कि चूंकि गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य हथियारों का उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए उक्त हथियारों के संबंध में कहानी को ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। ऐसे जटिल मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन निस्संदेह एक कठिन कार्य है; लेकिन आपराधिक न्यायालयों को ऐसे मामलों से निपटने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा और यह उनका कर्तव्य है कि वे सबूतों को सावधानीपूर्वक जांचें और तय करें कि इसका कौन सा हिस्सा सच है और कौन सा नहीं।"

22. हमने उपरोक्त स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख किया है क्योंकि जब एक व्यक्ति की मौत हो गई है और छह अन्य घायल हो गए हैं, विचारण न्यायालय ने घायल चश्मदीद गवाहों के पूरे साक्ष्य को खारिज करके विकृत दृष्टिकोण अपनाया है। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए सभी गवाहों के साक्ष्यों को कोई न कोई विरोधाभास पाकर यंत्रवत खारिज कर दिया। घटना दिनदहाड़े हुई है। एक आरोपी ने खुद पंचायत चुनाव को लेकर दुश्मनी का जिक्र किया है। उक्त अभियुक्त स्वयं घायल है जिससे घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति सिद्ध होती है। यह बयान मृतकों और घायलों की उपस्थिति को दर्शाता है। लेकिन उनका बयान यह समझाने में विफल है कि मृतक को पी डब्ल्यू 11 द्वारा क्यों मारा गया होगा जबकि मृतक स्वयं पी डब्ल्यू 11 का दूत बनकर आया था। कुछ विरोधाभासों को छोड़कर, प्रत्यक्षदर्शियों पीडब्लू 10, 11, 15, 12 और 18 का बयान सुसंगत है। उक्त बयान को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। बेशक, न्यायालय को साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय सतर्क रहना होगा और अतिशयोक्ति को खारिज करना होगा।

23. हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि ए5 का बयान संभावित नहीं है और केवल यह तथ्य कि उसे लगी चोट का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, अभियोजन पक्ष के बयान को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे मामले में, न्यायालय को यह जांचना होगा कि साक्ष्य भरोसेमंद हैं या नहीं। इस पहलू की इस न्यायालय द्वारा बार-बार जांच की गई है और स्थापित कानून यह है कि अभियुक्तों पर चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देना एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसके लिए न्यायालय को खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है कि सही बयान को छुपाया नहीं गया है और क्या बचाव पक्ष का बयान संभावित है। यह अपने आप में अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विजयी सिंह (सुप्रा), पैरा 9, (2001) 6 एससीसी 145-तखाजी हीराजी बनाम ठाकोर कुबेरसिंग चमनसिंग, (2012) 4 एससीसी 79-मनो दत्त बनाम यूपी राज्य।

24. यह दर्शाने के लिए कि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण पूरी तरह से विकृत है, कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं:

> "लेकिन सामान्य शब्दों में उसने कहा है कि आरोपी हथियारों के साथ आए थे। इसी तरह जिरह के दौरान उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने बिभीषण खाड़े पर विशेष आरोपी द्वारा हमला किए जाने की बात नहीं कही है। लेकिन उसने सामान्य शब्दों में कहा है कि विभीषण के साथ आरोपियों ने मारपीट की है। इसके अलावा यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसने स्वीकार किया है कि दगड़ू और बिभीषण पर कुल्हाड़ी, तलवार और बरछी से लकड़ी काटने जैसे हथियारों से हमला किया गया था। लेकिन मृतक बिभीषण और दगड़ू के शरीर पर कोई चुभने वाला घाव या कटे हुए चोट का निशान नहीं है। इसके अलावा

उसकी शिकायत में यह भी कहा गया है कि वह दगड़ू को नाश्ता देने के लिए मुरलीधर और विभीषण क्षीरसागर की बस्ती में गई थी। लेकिन पीडब्ल्यू और दगड़ू और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य से पता चलता है कि वे सभी दिवाली के नाश्ते के लिए मुरलीधर क्षीरसागर के घर गए थे और वहां दगड़ू ने दोपहर के समय भोजन के लिए आमंत्रित किया था। इसलिए, ऊपर उल्लिखित सभी प्रत्यक्षदर्शी दगड़ू की बस्ती में गए थे। लेकिन पीडब्लू दगड़ू, कर्नाथ, पीडब्लू बिभीषण क्षीरसागर और पीडब्लू चतुर्भुज ने खुलासा किया कि उन्हें दगड़ू के घर में भोजन के लिए नहीं बल्कि दिवाली के नाश्ते के लिए बुलाया गया था। ज्ञातव्य है कि यदि दगड़ू को मुरलीधर क्षीरसागर के घर दिवाली के नाश्ते के लिए आमंत्रित किया जाता तो दगड़ू के लिए मुरलीधर क्षीरसागर के घर नाश्ता ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी पहलुओं को देखते हुए शिकायतकर्ता के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकत" ।।

25. विचारण न्यायालय द्वारा अन्य गवाहों का भी ऐसा ही मूल्यांकन किया गया है। चूंकि चश्मदीद गवाह के बयान को अस्वीकार करना अनावश्यक है, विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए अन्य कारण अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। भले ही बरामदगी या केमिकल एनालाइजर की रिपोर्ट की अवहेलना की गई हो इनका केवल पुष्टिकारक मूल्य होता है, अभियोजन का मामला विश्वसनीय चश्मदीद गवाह के बयान से स्थापित होता है। केवल यह तथ्य कि कुछ गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है, कोई मायने नहीं रखता जब मामले को साबित करने के लिए विश्वसनीय सबूत पेश किए गए हों। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को पलट कर सही किया।

26. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की एक दलील यह है कि पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड किए गए पीडब्लू 12 द्वारा टेलीफोन संदेश को एफआईआर के रूप में माना जाना चाहिए था। हमें उक्त संदेश से अवगत कराया गया है जिसका आशय यह है कि ए 5 और अन्य आरोपियों ने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया। विद्वान अधिवक्ता ने ललिता कुमारी (सुप्रा) के अवलोकन पर इस आशय से भरोसा किया कि एक जीडी प्रविष्टि को एक उपयुक्त मामले में एफआईआर के रूप में भी माना जा सकता है। उक्त अवलोकन से, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि प्रत्येक जीडी प्रविष्टि या प्रत्येक गुप्त जानकारी को एफआईआर के रूप में माना जाना चाहिए। आनंद मोहन बनाम बिहार राज्य ((2012) 7 एससीसी 225) मामले में सीआरपीसी की धारा 154 का जिक्र करते हुए इस न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक गुप्त जानकारी, भले ही सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित न हो, को एफआईआर के रूप में नहीं माना जा सकता है। जानकारी में अपराध की प्रकृति और अपराध करने के तरीके का पर्याप्त रूप से खुलासा होना चाहिए। ऐसा देखा गया:

> "50. एसके इशाक बनाम बिहार राज्य [(1995) 3 एससीसी 392] में गुलाबी पासवान ने पुलिस स्टेशन में इस आशय की एक गुप्त सूचना दी कि गाँव में हंगामा हो रहा था क्योंकि गोलीबारी और ईंट-पत्थर से झगड़ा चल रहा था और इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इस गुप्त जानकारी से किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का भी खुलासा नहीं हुआ और न ही यह पता चला कि हमलावर कौन थे और गुलाबी पासवान के ऐसे गुप्त बयान को सीआरपीसी की धारा 154 के अर्थ में एफआईआर नहीं माना जा सकता है।

51. इसी प्रकार, बिनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य [(1997) 1 एससीसी 283] में रवीन्द्र भगत द्वारा पुलिस को 10/3 पर यह बताया गया है कि स्वर्गीय राम निरंजन शर्मा के पुत्रों ने अपने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर घरों और पुआल के ढेर में आग लगा दी थी और गोलीबारी भी की थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 10/3 स्पष्ट रूप से एक गुप्त जानकारी है और इससे किसी भी संज्ञेय अपराध के घटित होने का पता लगाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है।"

27. इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय ने दामोदर (सुप्रा), टीटी एंटनी (सुप्रा), पतई उर्फ कृष्ण कुमार (सुप्रा) और रवीश्वर मांझी (सुप्रा) में अपनाया गया है।

28. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना की अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए पदम सिंह (सुप्रा), देवता वेंकटस्वामी (सुप्रा), नरेंद्र सिंह (सुप्रा), प्रसन्ना दास (सुप्रा), में निर्धारित सिद्धांत अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए मज्जल (सुप्रा), ललिता कुमारी (सुप्रा), और बेबी (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है। अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्त करने के कारणों पर विचार करना चाहिए और केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब दोषमुक्ति विकृत हो। इस प्रस्ताव के बारे में कोई संदेह नहीं है कि अपीलीय न्यायालय को सबूतों की विश्वसनीयता के बारे में एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना होगा और उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबूतों का फिर से मूल्यांकन करना होगा। यदि अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के फैसले को पलटना है, तो विचारण न्यायालय के तर्क को उलट देना होगा और दोषमुक्ति के आदेश को उलटने की अनुमति केवल तभी है जब विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण न केवल गलत है, बल्कि अनुचित और विकृत भी है। साथ ही, अपीलीय न्यायालय के पास

सबूतों की समीक्षा करने और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने की पूरी शक्ति है। यदि दोषमुक्ति उचित नहीं है तो अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति को रद्द कर सकती है। बेशक, अपीलीय न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना होगा कि विचारण न्यायालय को गवाहों की सुनवाई का अवसर मिला है और दोषमुक्ति से निर्दोषता की धारणा कमजोर नहीं होती है। यदि दो उचित निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में बदलाव नहीं करनी चाहिए। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांतों का अनुपालन किया है।

29. बावा हाजी हम्सा (सुप्रा) में उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के फैसले को पलटने को मंजूरी देते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि विचारण न्यायालय के गलत दृष्टिकोण के कारण साक्ष्यों के मूल्यांकन में गलती हुई और उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को खारिज करना और साक्ष्यों का अपने तरीके से विश्लेषण करना उचित था।इस न्यायालय ने कहा:

> "30. हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि विचारण न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण दोषपूर्ण और भ्रामक था। इससे साक्ष्यों के मूल्यांकन में विपथन और गलत दिशा सामने आई और उनके निष्कर्ष दूषित हो गए। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने सही ढंग से शुरुआत की जब सबूतों पर व्यापक नजर डालने पर, उन्होंने पीडब्लू 1, 8 और 9 के साक्ष्य को प्रथम दृष्टया स्वीकार्य पाया। लेकिन चर्चा के दूसरे चरण के बाद, उन्हें संदेह हुआ; और चर्चा के तीसरे दौर के अंत में उसका मन पलट गया। ऐसे मामलों में जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और हंगामे में कुछ व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और साक्ष्य पक्षपातपूर्ण चरित्र का होता है, न्यायाधीश के लिए यह अक्सर अधिक

सुरक्षित होता है कि वह मामले के केंद्र में स्थित जटिल परिस्थितियों के साथ संभावनाओं की परिधि द्वारा निर्देशित हो। एक बार जब न्यायालय मामले की बुनियादी विशेषताओं से भटक जाता है, तो वह खुद को सारहीन विवरणों, अपमानजनक चर्चा और निराधार संदेह से उत्पन्न होने वाले उतार-चढ़ाव की भूलभुलैया में खो देता है। इस मामले में बिल्कुल यही हुआ है। एक विस्तृत निर्णय लिखने के लिए उठाए गए कष्टों और ईमानदार प्रयासों के बावजूद, विचारण न्यायाधीश महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर ध्यान देने से चूक गए। इसलिए, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश विचारण न्यायालय द्वारा मूल रूप से अपनाए गए गलत दृष्टिकोण को पूरी तरह से खारिज करने और अपने तरीके से साक्ष्य का विश्लेषण करने में सही थे।"

30. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, तुच्छ प्रकृति की विसंगतियां घायल चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती हैं और न ही कुछ गवाहों की गैर-परीक्षा अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार हो सकती है जब घायल चश्मदीद गवाहों की जांच की गई थी।

31. हम मसलती बनाम यूपी राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं कि हितबद्ध पक्षपातपूर्ण गवाहों के साक्ष्य को हालांकि सावधानीपूर्वक तौलना आवश्यक है, लेकिन उन्हें यंत्रवत् तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है। जब गैरकानूनी जमावड़े की भीड़ कोई अपराध करती है, तो प्रत्येक हमलावर द्वारा निभाई गई भूमिका का सटीक वर्णन करना अक्सर संभव नहीं होता है। हालांकि ऐसे मामलों में सबूतों का मूल्यांकन करना एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन न्यायालय को सबूतों को सावधानीपूर्वक छांटने का अपना कर्तव्य निभाना होगा।

32. उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले में लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि सभी पांच चश्मदीद गवाहों ने ए1 से ए7 तक का नाम दिया है। अन्य अभियुक्तों का नाम पी डब्ल्यू 11 और पी डब्ल्यू 18 द्वारा नहीं दिया गया है। अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, हम ए10 और ए11 को संदेह का लाभ देते हैं क्योंकि उन्हें पी डब्ल्यू 11 और पी डब्ल्यू 18 द्वारा नामित नहीं किया गया है और इस कारण से भी कि पी डब्ल्यू 10 ने केवल ए1 से ए7 तक विशिष्ट भूमिका निभाई है। लेकिन जहां तक ए1 से ए7 का सवाल है (A2 की पहले ही मृत्यु हो चुकी है) सभी पांच गवाहों ने लगातार उनका नाम लिया है। ए1 से ए7 को मृतक पर हमला करने में विशिष्ट रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। आईपीसी की धारा 302/149 के तहत उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा जाना चाहिए।

33. उपरोक्त कारणों से, इस अपील को आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति दी जाती है कि अपीलकर्ता क्रमांक 7 और 8 (बाबू राम बेरद और बालू नारददेव बेराद) को संदेह का लाभ दिया जाता है और उन्हें दोषमुक्त करार दिया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में वे वांछित न हो तो उन्हें रिहा किया जाए। अन्य अपीलकर्ताओं की अपील खारिज की जाती है। हालाँकि, अपीलकर्ता संख्या 5 और 6 (निवृत्ति सखाराम कोयले और कृष्ण सखाराम कोयले) एक महीने तक जमानत पर रहेंगे और यदि वे एक महीने के भीतर अधिक उम्र के आधार पर शेष सजा माफ करने के लिए आवेदन करते हैं तो उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पर निर्णय होने तक वे जमानत पर बने रहेंगे। यदि सजा माफी के लिए उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है, तो वे शेष सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करेंगे।

अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।